Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 4, July-August 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i04.1466

महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण में सरस राज सखी मेले का योगदानः एक अनुभवजन्य अध्ययन

गायत्री पाण्डिया

शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

सारांश
नारी सशक्तिकरण के बिना मानवता का विकास अधूरा है। समाज के कुशल और प्रभावी संचालन के लिए महिला–पुरुष दोनों की बराबर भागीदारी आवश्यक है। महिला की उन्नत एवं गौरवपूर्ण स्थिति एक मजबूत और सभ्य समाज को दर्शाती है। वास्तविकता यह है कि दुनिया का कोई भी देश, चाहे वह आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से कितना ही शक्तिशाली हो, लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूर्णतः हासिल नहीं कर सका है। जहाँ तक भारत की बात है, यहाँ प्राचीन काल से ही महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी; मध्यकाल एवं इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति तक महिलाओं की स्थिति खराब होती चली गई। मानवाधिकारों के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बावजूद पुरुषों की तुलना में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार व अन्य सामाजिक और आर्थिक संसाधनों तक पहुँच कम है। लैंगिक मुद्दों पर बढ़ी अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता के बाद भी अभी तक किसी भी देश ने वास्तविक लैंगिक समानता का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। पिछले तीन दशकों से महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ी है। वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में महिला के आर्थिक सशक्तिकरण का मुद्दा भी वैश्विक हो गया है। स्वयं सहायता समूह, और विशेष रूप से महिला-निर्देशित समूह, भागीदारी के माध्यम से सशक्तिकरण के लिए वर्तमान में क्रांतिकारी कार्यक्रम हैं। ये गरीबी उन्मूलन, मानव विकास, कौशल संवर्धन, नेतृत्व क्षमता व महिलाओं के पूर्ण सशक्तिकरण के लिए एक प्रभावी व उपयोगी रणनीति हैं। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा "महिलाओं का, महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए" सशक्तिकरण के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता बढ़ाने, मौलिक मानवाधिकारों तक व्यापक पहुँच, पोषण स्तर में सुधार, जीवन स्तर में वृद्धि तथा बुनियादी स्वास्थ्य एवं शिक्षा हेतु स्वयं सहायता समूहों के गठन में वृद्धि हुई है। सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारणा है और इसकी सफलता के लिए किसी भी समाज की पर्यावरणीय क्षमता का मजबूत होना आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण को मूर्त आकार देने के लिए पाँच तत्व किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं — आर्थिक भागीदारी, आर्थिक अवसर, राजनीतिक सशक्तिकरण, शिक्षा प्राप्ति हेतु उचित अवसर व वातावरण, तथा स्वास्थ्य और कल्याण। यद्यपि कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई है, लेकिन वास्तविक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में भागीदारी आवश्यक है। प्रस्तुत अध्ययन राजीविका द्वारा आयोजित सरस राज सखी मेले में सहभागी 65 महिला उत्तरदाताओं से संकलित प्राथमिक आँकड़ों के आधार पर मेलों/प्रदर्शनियों की महिला सशक्तिकरण में प्रभावशीलता का सांख्यिकीय परीक्षण प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द : स्वयं सहायता समूह, महिला सशक्तिकरण, महिला उद्यमिता, राजीविका, सखी मेला, माइक्रो-क्रेडिट, सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ, सांस्कृतिक बाधाएँ।

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 4, July-August 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i04.1466

1. प्रस्तावना

एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की बराबर भागीदारी आवश्यक है। महिलाएँ भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती हैं। समाज का आधा हिस्सा होते हुए भी आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों में महिलाओं की भागीदारी आजादी के 70 वर्ष पश्चात भी पिछड़ी हुई है, जिसका मुख्य कारण महिलाओं को लेकर स्टीरियोटाइप सोच है, जिसमें किसी पूर्वाग्रह को सामान्यीकृत कर वैधानिकता दे दी जाती है। इसी सोच से महिलाओं को कमजोर, निर्बल व नाजुक मानकर उनकी सार्वजनिक भागीदारी को सीमित कर दिया जाता है। सामाजिक मर्यादाओं और मान्यताओं से महिलाओं के आगे बढ़ने के अवसरों पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। दूसरी ओर, गरीबी का भी सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव महिलाओं पर होता है; गृहिणी के रूप में उनका आत्मविश्वास और आत्मबल निर्बल हो जाता है। पढ़ी-लिखी और शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाएँ दोहरे वंचन का सामना करती हैं। शहरों की तुलना में ग्रामीण महिलाएँ अधिक रूढ़िवादी सोच की शिकार होती हैं — उनकी वेशभूषा, आचार-व्यवहार को रूढ़िवादी तरीके से परिभाषित करने से लेकर विभिन्न रीति-रिवाजों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को दबा दिया जाता है।

वर्तमान में जब वैश्वीकरण के कारण पूरा विश्व एक गाँव की भाँति एकाकार हो चुका है, तथा वस्तुओं, विचारों और लोगों के प्रवाह में भौगोलिक बाध्यताएँ समाप्त हो गई हैं, ऐसे समय में महिलाएँ अपने अधिकारों और अवसरों को पहचान रही हैं। नीति निर्माताओं के लिए भी महिला सशक्तिकरण का मुद्दा व्यापक रूप से प्राथमिकता हासिल कर चुका है। महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में महिलाओं को अधिकाधिक अवसर व समान पहुँच आवश्यक है। गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास के लिए आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी आवश्यक है। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा का उद्भव भी महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन को संदर्भित करने के लिए किया गया था, जो भारत सहित कई विकासशील देशों में एक प्रमुख अवधारणा का महत्व प्राप्त कर चुकी है। स्वयं सहायता समूहों को सफल बनाने के लिए अनेक नीतियों और कार्यक्रमों का संचालन केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जा रहा है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बैंक लिंकेज कार्यक्रम है, जिससे बड़े स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों की संस्थागत ऋण तक पहुँच सुनिश्चित की गई। अन्य कार्यक्रम भी इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

2. स्वयं सहायता समूह: अवधारणा

एक अवधारणा के रूप में स्वयं सहायता समूह की उत्पत्ति बांग्लादेश के अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. मोहम्मद यूनुस द्वारा ग्रामीण बैंकों (ग्रामीण बैंक मॉडल) की स्थापना के साथ हुई थी। गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण को लक्षित करने वाली इस अवधारणा को भारत में भी व्यापक पहचान मिली। स्वयं सहायता समूह समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि रखने वाले 10–15 लोगों का ऐसा छोटा समूह है, जो अनौपचारिक रूप से संगठित होकर सामान्य समस्याओं का समाधान सामूहिक कार्यवाही के माध्यम से खोजते हैं। गरीबी उन्मूलन और आजीविका हेतु छोटी-छोटी बचत को प्रोत्साहित कर एक सामूहिक कोष का गठन किया जाता है। इस कोष का उपयोग आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूक्ष्म ऋण उपलब्ध करवाने के लिए और स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। समूह आपसी सहयोग, स्व-सहायता व आपसी भरोसे के सिद्धांत पर संगठित होते हैं। स्थायित्व प्राप्त करने के पश्चात समूह बैंक में अपना पंजीकरण करवाकर समूह के नाम से बैंक खाता खोल सकते हैं, जहाँ अपनी बचत व बैंक से लिए गए ऋण का समुचित लेखा-जोखा रखा जाता है। समूह का संचालन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है; समूह संचालन के नियमों का निर्माण आपसी सहमति से किया जाता है, जिनमें प्रमुख हैं — बैठक का स्थान व समय, मासिक बचत, ऋण पर ब्याज राशि, बैठक के अध्यक्ष का चुनाव, सचिव की नियुक्ति व लेन-देन का रिकॉर्ड रखने के लिए खाते का संचालन आदि।

E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 4, July-August 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i04.1466

3. महिला सशक्तिकरण

सशक्तिकरण आवश्यक रूप से शक्ति व क्षमता की अवधारणा से संबंधित है। कबीर के अनुसार, अशक्त और वंचित लोगों द्वारा निर्णय-निर्माण की क्षमता प्राप्त करना ही सशक्तिकरण है। महिलाएँ समाज का एक प्रमुख स्तंभ होते हुए भी अनेक नियमों, मान्यताओं और प्रतिबंधों के अधीन रही हैं। निर्बल और अशक्त मानकर उन्हें निर्णय-निर्माण प्रक्रिया से वंचित रखा जाता है, जिससे समाज में लैंगिक असमानता व विभाजन लगातार गहराता गया। आजादी के पश्चात अनेक कार्यक्रमों में महिला कल्याण को प्राथमिकता प्रदान की गई, लेकिन 1990 के पश्चात कल्याण की जगह विकास और सशक्तिकरण को आवश्यक समझा जाने लगा, जिसकी वजह नारीवादी संगठनों और महिला आंदोलनों द्वारा महिलाओं को लाभार्थी के रूप में न मानकर विकास के सक्रिय अभिकर्ता के रूप में पहचानने की माँग रही। स्वयं सहायता समूह इस दिशा में एक प्रभावी साधन के रूप में उभरे हैं। वर्तमान में बड़े स्तर पर स्वयं सहायता समूहों का गठन अब देश में महिला सशक्तिकरण के आंदोलन की पहचान बन चुका है (तियास, 2007)। स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने महिलाओं को सामाजिक रूढ़िवादी मान्यताओं के प्रति जागरूक किया है, समूह में कार्य करने की आदत का निर्माण, सामाजिक स्थिति में सुधार, बचत की आदत और स्व-रोजगार के माध्यम से आजीविका का सृजन, तथा सामूहिक समस्याओं के समाधान में समूह की क्षमता विकसित करने में सशक्त बनाया है। जब महिला के पास स्वतंत्रता होती है तो इसका व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। महिलाओं के हाथों में जब पूँजी का नियंत्रण दिया जाता है तो न केवल वे स्वयं को सुरक्षित समझती हैं बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। हालाँकि महिलाओं में यह स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपने लिए बहुत कम बचाकर अपने परिवारों के कल्याण में निर्णायक योगदान देती हैं (चेस्टन एवं कून, 2002)।

4. स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तिकरण

अनेक अध्ययनों में पाया गया है कि स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण व गरीबी निवारण में प्रभावी माध्यम सिद्ध हुए हैं। ग्रामीण से लेकर शहरी स्तर तक महिलाओं द्वारा संगठित समूहों की लोकप्रियता इसकी सफलता के परिणाम हैं। स्वयं सहायता समूह सामूहिक रूप से सूक्ष्म उद्यमों का संचालन करते हैं, जो मुख्य रूप से पारंपरिक हस्तकला और कौशल पर आधारित होते हैं। स्वयं सहायता समूहों की सफलता के लिए आवश्यक है कि सदस्यों द्वारा उत्पादित सामान को विपणन व बाजार तक पहुँच मिले। राज सखी मेले की अवधारणा इसी चिंता का समाधान करती है। राजीविका द्वारा विपणन हेतु एक ऐसा मंच उपलब्ध करवाया जाता है जहाँ न केवल राजस्थान से बल्कि संपूर्ण भारत के अनेक प्रांतों से स्वयं सहायता समूह अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर ग्राहकों को आकर्षित करते हैं।

देश में महिला उद्यमियों का प्रतिशत बहुत कम है। पढ़ी-लिखी महिलाएँ सामाजिक सम्मान और सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देती हैं, जबकि ग्रामीण और कम शिक्षित महिलाएँ व्यावसायिक गतिविधियों के बजाय कृषि और पशुपालन के माध्यम से घरेलू अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के पास विचारों और कौशल का अभाव होता है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी और उचित मार्गदर्शन के अभाव में वे अपनी आकांक्षाओं को आकार नहीं दे पातीं। दो अन्य कारण भी महिला उद्यमिता को प्रभावित करते हैं। प्रथम, व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने के लिए संसाधनों, मशीनों, कच्चे माल तथा उत्पादित माल को उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जरूरत होती है, जिसके लिए वित्तीय निवेश जरूरी हो जाता है; लेकिन वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुँच होने के कारण महिलाएँ औपचारिक संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं। द्वितीय, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ और सामाजिक-सांस्कृतिक बाध्यताएँ महिलाओं के घर से बाहर निकलकर काम करने के अवसरों को सीमित कर देती हैं। राजस्थान में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर उन्हें स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनके उत्पादों को मंच उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता है।

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 4, July-August 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i04.1466

5. राजीविका: परिचय एवं भूमिका

राज्य में गरीबी उन्मूलन और आजीविका कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए वर्ष 2010 में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) की स्थापना की गई। यह सोसायटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त संस्था है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और सचिव, मुख्य सचिव होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों और गरीबों को स्थायी आजीविका के स्रोतों तक पहुँच के लिए संगठित कर आर्थिक गतिविधियों में संलग्न करना है। यह गरीबी उन्मूलन की ओर उन्मुख गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों के मध्य समन्वय स्थापित करती है तथा ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें स्वयं सहायता समूहों में संगठित होने के लिए प्रोत्साहित करती है।

5.1 राजीविका और महिला सशक्तिकरण

गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण हेतु राजीविका एक समग्र विकास कार्यक्रम है, जिसकी प्रमुख भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं —

1. यह महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह महिला प्रतिभा को मंच देने तथा ग्रामीण गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हेतु आजीविका के स्रोतों से जोड़ने के लिए उन्हें स्वयं सहायता समूहों में संगठित करता है। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा वित्तीय बाध्यताओं को समाप्त करने के लिए यह महिला-आधारित समूहों को दैनिक बचत को बढ़ावा देने तथा संस्थागत व किफायती ऋण प्रणाली तक पहुँच हेतु बैंकों में खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित करता है।
2. महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए समय-समय पर विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जैसे — सिलाई, कढ़ाई, डेयरी, मोटे अनाज व जैविक अनाज से खाद्य सामग्री का निर्माण, कृषि-आधारित कार्य और लघु उद्योग, जिससे महिलाएँ स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें।
3. गरीब महिलाएँ अपने व्यवसायों को स्थायी रूप से इसलिए भी संचालित नहीं कर पातीं क्योंकि उनके पास अपने उत्पादों के प्रदर्शन के लिए कोई मंच उपलब्ध नहीं होता तथा वे उत्पादों की ब्रांडिंग, मार्केटिंग या प्रदर्शनियों के खर्च वहन करने में असमर्थ होती हैं। राजीविका महिलाओं द्वारा उत्पादित सामान की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और बाजार व उपभोक्ताओं तक पहुँच देने के लिए जयपुर, दिल्ली और अन्य जिलों में आयोजित सरस मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन कर महिलाओं को ग्राहकों और बाजारों से जोड़ने के अवसर प्रदान करती है।

राजीविका केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह महिलाओं में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति के विकास तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता वाले कार्यक्रमों का समय-समय पर आयोजन करती है, जिससे महिलाएँ अपनी क्षमता को पहचानकर समाज में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त कर सकें तथा परिवार और समाज के अनुचित बंधनों से बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकें।

6. सरस राज सखी मेला: परिचय

सरस राज सखी मेला राजस्थान सरकार की राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण विपणन एवं महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प, हथकरघा, खाद्य उत्पाद, जैविक उत्पाद तथा अन्य स्थानीय उत्पादों को प्रत्यक्ष बाजार उपलब्ध कराना, ग्रामीण महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 4, July-August 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i04.1466

राज सखी मेले का आयोजन जिला स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। हाल के वर्षों में राजस्थान सरकार की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत जनवरी से मार्च के बीच राजस्थान के सभी जिलों में जिला स्तरीय राज सखी सरस मेले आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को अपने उत्पादों के विपणन का समान अवसर मिल सके। राजीविका द्वारा सरस राज सखी राष्ट्रीय शिल्प मेला एवं फूड फेस्टिवल का आयोजन पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। इस वर्ष जयपुर में राष्ट्रीय स्तर के सरस राज सखी मेले का आयोजन जवाहर कला केंद्र में 18 दिसंबर 2025 से 04 जनवरी 2026 तक किया गया, जिसमें 300 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पादों के विपणन और प्रचार के लिए दुकानें लगाईं; इनमें से 90 से अधिक दुकानों के प्रतिनिधि अन्य राज्यों से संबंधित थे। मेले में हथकरघा, हस्तशिल्प, प्राकृतिक खाद्य उत्पाद तथा ताजा खाद्य पदार्थों की श्रेणियों से संबंधित उत्पाद उपलब्ध थे। राजीविका से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, मेले के दौरान लगभग 8 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई। उद्‌घाटन समारोह में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, ग्रामीण उद्यमिता तथा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया।

7. साहित्य समीक्षा

पुहाझेंदी (2000) ने अपने अध्ययन में बताया कि स्वयं सहायता समूहों में संगठित होने से महिलाओं के समग्र व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है। वे सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण को आत्मविश्वास के साथ रखती हैं। छोटे उद्यमी के रूप में महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है। स्वयं सहायता समूहों में जुड़ने के बाद बचत को लेकर उनमें अनुशासनात्मक आदत का विकास हुआ है। आर्थिक रूप से सशक्त होने के कारण महिलाओं की जीवन-शैली में परिवर्तन हुआ है और वे स्वयं की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हुई हैं।

प्रसाद (2000) ने कोलार में स्वयं सहायता समूहों का अध्ययन करते हुए पाया कि स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों का सशक्तिकरण करने के साथ-साथ गाँव की सामुदायिक महत्व की संपत्ति व वस्तुओं — जैसे पेयजल, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं — के रखरखाव व सुधार में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं। महिलाएँ स्वरोजगार गतिविधियों के अलावा टैंकों की सफाई, बाल एवं शिशु स्वास्थ्य व विकास की दिशा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में शामिल पाई गईं।

राघवेंद्र (2000) ने शिमोगा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित तीन समूहों का अध्ययन किया। समूहों के प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन में पाया कि समूह आय-सृजन करने वाली आर्थिक गतिविधियों में विविधता लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसने सामाजिक पूँजी का विकास किया है; समूह के सदस्य सामान्य समस्याओं का मिल-जुलकर समाधान कर रहे हैं और छोटे ऋणों के लेन-देन के संबंध में साहूकारों पर निर्भरता कम हुई है। परंतु समूह अभी भी पूर्ण सफलता का स्तर प्राप्त नहीं कर सके हैं क्योंकि संस्थागत ऋण तक सभी समूहों की पहुँच नहीं है। अशिक्षा और संसाधनों की कम उपलब्धता स्वयं सहायता समूहों की सफलता में प्रमुख बाधक तत्व हैं। अध्ययन सुझाव देता है कि समूहों की गतिविधि स्थायी और संतोषजनक है, लेकिन गरीबी उन्मूलन का प्रभावी माध्यम बनाने के लिए वित्तीय संस्थाओं की मजबूती जरूरी है।

पुरुषोत्तम (2000) ने आंध्र प्रदेश में पुरुष स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित सूक्ष्म उद्यमों का अध्ययन करते हुए पाया कि जब बीज का रोपण किया जाता है तो सदस्यों की आय में वृद्धि होती है, लेकिन अधिकांश समय में कृषि-आधारित उपकरण ज्यादा आय-सृजन में योगदान नहीं दे पाते। अध्ययन का सुझाव था कि सदस्यों को कृषि उपकरणों की विविधता पर निवेश करना चाहिए, जिससे उनके पास पूरे साल रोजगार के अवसर उपलब्ध रहें।

राव (2001) ने कर्नाटक के बीदर जिले में स्वयं सहायता समूहों के संरचनात्मक ढाँचे का अध्ययन किया। अध्ययन के अनुसार स्वयं सहायता समूह की सदस्यता समान न होकर विषम थी और औसत सदस्यता लगभग 19 महिलाओं की थी। समूह किसी एक जैसी आर्थिक गतिविधि से संबंधित न होकर विविधता पर आधारित थे।

सतीश (2001) ने स्वयं सहायता समूह की आम लोगों में जागरूकता के स्तर का आकलन करने के लिए अध्ययन किया। अध्ययन के निष्कर्ष नीति-निर्माताओं का ध्यान आकर्षित करने वाले थे। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से लाई गई थी, लेकिन वास्तविकता यह है कि सबसे गरीब व्यक्ति सामान्यतः किसी भी

E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 4, July-August 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i04.1466

स्वयं सहायता समूह का सदस्य नहीं होता, क्योंकि उसके पास समूहों में संगठित होने के लिए किसी भी प्रोत्साहन का अभाव है तथा उनमें से कुछ को ऐसे समूहों के गठन में एनजीओ/बैंकों द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी भी नहीं होती। इसलिए अत्यंत गरीब लोगों को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना चाहिए।

सिंह, मोहेंद्रो एवं देवी (2004) ने मणिपुर में स्वयं सहायता समूह के कार्यों का अध्ययन किया और पाया कि माइक्रो-क्रेडिट गरीबी के खिलाफ एक शक्तिशाली साधन सिद्ध हुए हैं। सूक्ष्म ऋण प्रणाली ने पूर्व में प्रचलित जमींदार और साहूकार वर्ग आधारित ऋण व्यवस्था को जन-आधारित बैंकिंग व्यवस्था में परिवर्तित किया है। माइक्रो-क्रेडिट गरीबों की सामाजिक-आर्थिक दशा में परिवर्तन ला रहे हैं।

लियान, मावी डैंह (2020) ने मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में चयनित स्वयं सहायता समूहों पर की गई केस स्टडी में पाया कि स्वयं सहायता समूह में संगठित होने व आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के संपर्क से आदिवासी महिलाओं के जीवन स्तर में कई परिवर्तन आ रहे हैं। इससे पहले मेहनती होने के बावजूद आर्थिक रूप से निर्बल होने के कारण वे गरीबी की दशा में रहती थीं। अधिकांश महिला सदस्यों का मानना है कि समूह से जुड़ने के बाद उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, और 95 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि अब वे पहले से अधिक सशक्त अनुभव करती हैं तथा किसी भी चुनौती का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ करती हैं। समूह का संचालन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है, जिसमें नियमित बैठकों का आयोजन, भागीदारी, दैनिक बचत को प्रोत्साहन तथा उद्यमी गतिविधियों का ईमानदारी से संपादन शामिल है। समूह के माध्यम से आय में वृद्धि हो रही है और समूहों की सफलता को देखकर अन्य महिलाएँ भी संगठित होने के लिए प्रेरित हो रही हैं।

अरुण कुमार एवं महालक्ष्मी (2022) का अध्ययन कोयंबटूर में किया गया। सर्वेक्षण, साक्षात्कार व प्रतिचयन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए महिला-आधारित स्वयं सहायता समूहों का अध्ययन किया गया। अध्ययन-निष्कर्षों के अनुसार स्वयं सहायता समूहों ने महिला उद्यमिता का विकास कर गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गरीबों के लिए एक सामूहिक ऋण व्यवस्था का निर्माण हुआ है जो गरीब व्यक्तियों की आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा कर रही है।

आनंद (2022) ने "महिलाओं का स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्तिकरण: चिकबल्लापुर तालुक, कर्नाटक के संदर्भ में" शीर्षक से अपने शोध-पत्र में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि स्वयं सहायता समूहों ने सदियों से वंचित महिलाओं के लिए अवसर उपलब्ध करवाए हैं तथा महिलाओं की सामूहिक रूप से कार्य करने की क्षमता को विकसित किया है। बचत में अनुशासन, बैंकिंग ऋण प्रणाली से जुड़ाव, सूक्ष्म उद्यमों का संचालन, उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुँचाना आदि गतिविधियों ने महिला आत्मविश्वास को मजबूत कर उनके व्यक्तित्व में सुधार किया है।

बसेरा, शिप्रा एवं भट्ट, चंदन (2025) के हल्द्वानी में ग्रामीण महिलाओं पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के पश्चात महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। समूह की महिलाएँ छोटे उद्यमों के माध्यम से आय-सृजन कर रही हैं। बचत जमा करने तथा ऋण-प्राप्ति के लिए बैंक की गतिविधियों के बारे में जानकारी का विस्तार हुआ है। आर्थिक रूप से सशक्त होने के कारण परिवार और समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण में प्रभावी साधन सिद्ध हुए हैं।

8. समस्या का प्रतिपादन

अनेक अध्ययनों में पाया गया है कि स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण व गरीबी निवारण में प्रभावी माध्यम सिद्ध हुए हैं। ग्रामीण से लेकर शहरी स्तर तक महिलाओं द्वारा संगठित समूहों की लोकप्रियता इसकी सफलता के परिणाम हैं। लेकिन स्वयं सहायता समूह के साहित्य-अध्ययन के निष्कर्षों से यह प्रमाणित होता है कि अनेक स्वयं सहायता समूह संगठित होने के कुछ समय पश्चात कार्यशील नहीं रह पाते, जिसका मुख्य कारण उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों को पर्याप्त बाजार का न मिलना है। स्वयं सहायता समूह सामूहिक रूप से सूक्ष्म उद्यमों का संचालन करते हैं, जो मुख्य रूप से पारंपरिक हस्तकला

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 4, July-August 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i04.1466

और कौशल पर आधारित होते हैं। समूहों की सफलता के लिए आवश्यक है कि सदस्यों द्वारा उत्पादित सामान को विपणन हेतु बाजार तक पहुँच मिले। प्रस्तुत अध्ययन व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल होने वाली महिलाओं के सशक्तिकरण का अध्ययन करता है। राजीविका द्वारा आयोजित प्रदर्शनी (सरस राज सखी मेला) के परिणामों और संभावनाओं का विश्लेषण करना अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य है।

9. अध्ययन का महत्व

आजादी के पश्चात समाज के सभी वर्गों के कल्याण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया गया, लेकिन अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में भी अन्य सामाजिक समस्याओं के साथ गरीबी एवं बेरोजगारी एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। आर्थिक विकास को मजबूती देने वाली वित्तीय संस्थाओं तथा बुनियादी ढाँचे का विकास अभी भी भारत में, विशेषकर ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्रों तक, प्रभावी रूप से पहुँच नहीं बना पाया है। ऐसी परिस्थितियों में महिलाएँ, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएँ, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं तथा आर्थिक संसाधनों के अभाव जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करती हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु स्वयं सहायता समूह एक प्रभावी माध्यम के रूप में उभरे हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से औपचारिक वित्तीय संस्थाओं को ग्रामीण निर्धन वर्ग से जोड़ने, ऋण वितरण एवं ऋण वसूली में जन-सहभागिता सुनिश्चित करने तथा महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक पहुँच उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। इसके बावजूद अधिकांश स्वयं सहायता समूहों की सदस्याएँ वित्तीय संसाधनों की कमी को अपनी प्रमुख समस्या मानती हैं। व्यवसाय में प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर महिलाओं को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके उद्यम एवं आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

हाल के वर्षों में महिलाओं ने उद्यमिता, आय-सृजन तथा आर्थिक विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है, किंतु अभी भी अनेक महिलाएँ अपनी क्षमता एवं उपलब्ध अवसरों के प्रति पूर्णतः जागरूक नहीं हैं। इसलिए महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना समय की प्रमुख आवश्यकता है। इस संदर्भ में स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वरोजगार, आय-वृद्धि तथा ग्रामीण आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का एक प्रभावी साधन सिद्ध हुए हैं। इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत अध्ययन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, आय-सृजन, रोजगार क्षमता तथा ग्रामीण आर्थिक विकास पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। साथ ही, यह अध्ययन ग्रामीण महिलाओं में स्वयं सहायता समूहों के प्रति जागरूकता के स्तर तथा उनके समग्र विकास में इन समूहों की भूमिका का मूल्यांकन भी करता है।

10. अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं —

1. राजस्थान से राज सखी मेले में शामिल होने वाली महिलाओं में स्वयं सहायता समूहों के प्रति जागरूकता के स्तर का अध्ययन करना।
2. उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के स्तर की जाँच करना।
3. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में राजीविका की भूमिका का अध्ययन करना।
4. स्वयं सहायता समूहों के लिए आयोजित होने वाले मेलों और प्रदर्शनियों की प्रभावशीलता के स्तर का मूल्यांकन करना।

11. परिकल्पनाएँ

H_{01} (शून्य परिकल्पना): मेले एवं प्रदर्शनी में भाग लेने से महिलाओं की आय तथा व्यावसायिक कौशल में कोई सार्थक सकारात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है।

H_{11} (वैकल्पिक परिकल्पना): मेले एवं प्रदर्शनी में भाग लेने से महिलाओं की आय तथा व्यावसायिक कौशल में सार्थक सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।

H_{02} (शून्य परिकल्पना): मेले एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने से महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण व आत्मविकास के स्तर में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं हुआ है।

H_{12} (वैकल्पिक परिकल्पना): मेले एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने से महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण व आत्मविकास के स्तर में सार्थक परिवर्तन हुआ है।

12. अध्ययन का क्षेत्र

स्वयं सहायता समूह की अवधारणा महिलाओं के सशक्तिकरण पर आधारित है, जिसकी सफलता तब तक नहीं मानी जाती जब तक महिलाओं को व्यावसायिक गतिविधियों से न जोड़ा जाए। प्रस्तुत अध्ययन राजस्थान में राजीविका द्वारा महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के विपणन हेतु मंच उपलब्ध करवाने की सफलता के स्तर को जाँचने पर केंद्रित है। इस अध्ययन में महिला सशक्तिकरण का मूल्यांकन आय-सृजन, महिलाओं की रोजगार क्षमता तथा ग्रामीण आर्थिक विकास के आधार पर किया गया है। साथ ही, राजस्थान की महिलाओं में स्वयं सहायता समूहों के प्रति जागरूकता के स्तर का भी अध्ययन किया गया है। शोध की सफलता के लिए अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया। इस प्रकार अध्ययन का क्षेत्र उपर्युक्त स्वयं सहायता समूहों तथा उनके माध्यम से महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों (सामाजिक-आर्थिक) के विश्लेषण तक सीमित है।

13. शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति पर आधारित है। शोध-उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों को अध्ययन में शामिल किया गया है। अध्ययन में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की स्थिति का वर्णन करने के साथ-साथ सांख्यिकीय तकनीकों की सहायता से विभिन्न चरों के मध्य संबंधों एवं परिकल्पनाओं का विश्लेषण भी किया गया है।

13.1 प्राथमिक आँकड़ों का स्रोत

प्राथमिक आँकड़ों का संकलन राजीविका द्वारा आयोजित राज सखी मेले में भागीदारी करने वाली 65 महिला उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा किया गया। इस उद्देश्य से पूर्व-निर्धारित प्रश्नों पर आधारित एक संरचित साक्षात्कार अनुसूची (पाँच-बिंदु लिकर्ट मापनी: पूर्णतः सहमत = 5 से पूर्णतः असहमत = 1) का उपयोग किया गया। शोधकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं से आमने-सामने साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई। आर्थिक सशक्तिकरण एवं सामाजिक सशक्तिकरण — प्रत्येक आयाम को मापने हेतु 10–10 कथन सम्मिलित किए गए।

13.2 द्वितीयक आँकड़ों का स्रोत

आवश्यक द्वितीयक आँकड़े राजीविका की प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों, नाबार्ड एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइटों तथा अध्ययन से संबंधित पुस्तकों, शोध-पत्रिकाओं, समाचार-पत्रिकाओं एवं प्रकाशित शोध-आलेखों से संकलित किए गए।

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 4, July-August 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i04.1466

14. आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

प्रस्तुत अध्ययन में आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के आयामों को जाँचने के लिए 10–10 प्रश्न उत्तरदाताओं (n = 65) से पूछे गए। प्रत्येक कथन का कुल स्कोर एवं माध्य (कुल स्कोर ÷ 65) निम्न तालिकाओं में प्रस्तुत है।

तालिका 1: आर्थिक सशक्तिकरण व आय में वृद्धि से संबंधित कथनों पर उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाएँ (n = 65)

क्र.	कथन	पूर्णतः सहमत (5)	सहमत (4)	तटस्थ (3)	असहमत (2)	पूर्णतः असहमत (1)	कुल स्कोर	माध्य
1	मेले में भाग लेने से मेरी आय में वृद्धि हुई है।	52 (80.0%)	9 (13.8%)	3 (4.6%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)	307	**4.7**
2	मुझे मेले के माध्यम से नए ग्राहक मिले।	45 (69.2%)	10 (15.4%)	7 (10.8%)	3 (4.6%)	0 (0.0%)	292	**4.5**
3	मेले के दौरान मेरी बिक्री सामान्य दिनों से अधिक रही।	62 (95.4%)	3 (4.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	322	**5.0**
4	मेले में भाग लेने से मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है।	65 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	325	**5.0**
5	अब मैं अपने व्यवसाय से संबंधित निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हूँ।	42 (64.6%)	9 (13.8%)	7 (10.8%)	2 (3.1%)	0 (0.0%)	271	**4.2**
6	मैं आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर महसूस करती हूँ।	59 (90.8%)	6 (9.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	319	**4.9**
7	मुझे ग्राहकों से सीधे संपर्क करने का अवसर मिला।	65 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	325	**5.0**
8	इस संपर्क से मुझे बाजार की जरूरतों को समझने में मदद मिली।	58 (89.2%)	4 (6.2%)	2 (3.1%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)	314	**4.8**
9	मेरे कार्य से अन्य लोगों को रोजगार मिला।	35 (53.8%)	16 (24.6%)	7 (10.8%)	7 (10.8%)	0 (0.0%)	274	**4.2**
10	सरकार, प्रशासन व राजीविका द्वारा महिला सशक्तिकरण में किए गए प्रयासों से संतुष्ट हूँ।	46 (70.8%)	12 (18.4%)	5 (7.7%)	2 (3.1%)	0 (0.0%)	297	**4.6**

स्रोत: प्राथमिक आँकड़े (क्षेत्र-सर्वेक्षण, सरस राज सखी मेला, जयपुर, 2025–26)।

14.1 तालिका 1 का कथनवार विश्लेषण

1. मेले/प्रदर्शनी में भागीदारी से आय में वृद्धि हुई: 52 अर्थात 80.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पूर्ण सहमत विकल्प को चुना तथा 9 (13.8%) उत्तरदाताओं ने सहमत विकल्प पर अपनी सकारात्मक सहमति प्रदान की; केवल 3 (4.6%) सहभागी तटस्थ रहे व मात्र 1 उत्तरदाता ने असहमत विकल्प चुना। इस प्रश्न पर प्राप्त माध्य स्कोर 4.7 यह दर्शाता है कि अधिकांश महिलाओं की मेले में सहभागिता से आमदनी में सकारात्मक वृद्धि हुई है।

2. मेले में नए ग्राहकों से संपर्क हुआ: 45 (69.2%) उत्तरदाताओं ने पूर्ण सहमति विकल्प चुना, 10 (15.4%) ने सहमति तथा 7 (10.8%) उत्तरदाता तटस्थ रहे, वहीं 3 (4.6%) ने असहमति व्यक्त की। इस कथन का माध्य स्कोर 4.5 दर्ज किया गया, जो उत्तरदाताओं के उच्च सकारात्मक स्तर को प्रकट करता है।

E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 4, July-August 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i04.1466

3. मेले में उत्पादित माल की बिक्री सामान्य दिनों से अधिक रही: 62 अर्थात 95.4% उत्तरदाताओं ने पूर्ण सहमति तथा 4.6% ने सहमति विकल्प चुना। इस कथन का माध्य 5.0 दर्ज किया गया, जिससे यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि मेले व प्रदर्शनियाँ स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के प्रभावी माध्यम सिद्ध हो रहे हैं।

4. मेले में भाग लेने से आत्मविश्वास में वृद्धि हुई: शत-प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पूर्ण सहमति के विकल्प को चुना, जो महिला उत्तरदाताओं के अनुभवों में उच्चस्तरीय एकरूपता को दर्शाता है। उक्त कथन का माध्य उच्चतम 5.0 दर्ज किया गया।

5. व्यावसायिक गतिविधि के संचालन में स्वतंत्रता व निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता: 42 (64.6%) उत्तरदाताओं ने पूर्ण सहमति विकल्प चुना, 9 (13.8%) ने सहमति विकल्प तथा 7 (10.8%) तटस्थ रहे, वहीं मात्र 2 (3.1%) महिला उत्तरदाताओं ने असहमति प्रकट की। प्राप्त 4.2 माध्य स्कोर बहुसंख्यक उत्तरदाताओं की स्थिति में परिवर्तन को दर्शाता है।

6. समूह के सदस्य बनने के बाद महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महसूस करती हैं: 59 (90.8%) उत्तरदाताओं ने पूर्ण सहमति तथा 6 (9.2%) ने सहमति विकल्प चुना; तटस्थ व नकारात्मक विकल्पों को किसी ने नहीं चुना। इस कथन का माध्य स्कोर 4.9 प्राप्त हुआ, जो एक उच्च स्तर को दर्शाता है।

7. मेले के दौरान ग्राहकों से सीधे संवाद करने का अवसर मिला: इस कथन पर शत-प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पूर्ण सहमति विकल्प चुना। इस प्रश्न का 5.0 माध्य स्पष्ट करता है कि मेले ने महिला सदस्यों के व्यावसायिक कौशल को सुदृढ़ किया है।

8. उत्पादों के विपणन हेतु बाजार की माँग व जरूरतों को समझने में सहायता मिली: 58 (89.2%) महिलाओं ने पूर्ण सहमति तथा 4 (6.2%) ने सहमति विकल्प चुना; केवल 2 (3.1%) तटस्थ रहे व 1 (1.5%) ने असहमति विकल्प चुना। इसका माध्य स्कोर 4.8 दर्ज किया गया।

9. अन्य लोगों को रोजगार से जोड़ा: 35 (53.8%) ने पूर्ण सहमति, 16 (24.6%) ने सहमति दी तथा 7 (10.8%) तटस्थ रहे, वहीं 7 (10.8%) उत्तरदाताओं ने असहमति विकल्प चुना। इस कथन का माध्य 4.2 प्राप्त हुआ।

10. सरकार, प्रशासन और राजीविका द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयासों से संतुष्टि: इस प्रश्न पर 46 (70.8%) ने पूर्ण सहमति, 12 (18.4%) ने सहमति विकल्प पर अपनी सकारात्मक राय रखी; 7.7% उत्तरदाता तटस्थ रहे और 3.1% ने असहमति विकल्प चुना। इस कथन का माध्य 4.6 दर्ज किया गया।

14.2 परिकल्पना परीक्षण: t-परीक्षण (आर्थिक सशक्तिकरण एवं आय में वृद्धि)

आर्थिक सशक्तिकरण एवं आय में वृद्धि से संबंधित 10 कथनों पर प्राप्त औसत अंकों का परीक्षण एक-प्रतिदर्श t-परीक्षण (One-Sample t-Test) द्वारा किया गया, जिसमें कथनों के प्राप्त औसत की तुलना तटस्थ मान (3.00) से की गई, ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि उत्तरदाताओं की सहमति सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है या नहीं।

विश्लेषण के अनुसार 10 कथनों का समग्र औसत 4.686 प्राप्त हुआ, जबकि तुलना के लिए निर्धारित मान 3.00 था। परीक्षण से t-मान = 17.051 (df = 9) तथा p-मान = 3.689×10^{-8} प्राप्त हुआ, जो 0.05 एवं 0.01 दोनों सार्थकता-स्तरों से बहुत कम है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राप्त औसत और तटस्थ मान के बीच का अंतर अत्यंत सांख्यिकीय रूप से सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना (H_{01}), जिसमें यह माना गया था कि मेले एवं प्रदर्शनी में भाग लेने से महिलाओं की आय तथा व्यावसायिक कौशल में कोई सार्थक सकारात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है, अस्वीकृत होती है तथा वैकल्पिक परिकल्पना (H_{11}) स्वीकृत होती है।

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 4, July-August 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i04.1466

तालिका 2: सामाजिक सशक्तिकरण व आत्मविश्वास से संबंधित कथनों पर उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाएँ (n = 65)

क्र.	कथन	पूर्णतः सहमत (5)	सहमत (4)	तटस्थ (3)	असहमत (2)	पूर्णतः असहमत (1)	कुल स्कोर	माध्य
1	क्लस्टर, जिला व राज्य स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण, कार्यशाला व शैक्षणिक प्रदर्शनों में भाग लेते समय अब संकोच महसूस नहीं करती।	58 (89.2%)	7 (10.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	318	**4.9**
2	जिला स्तर पर आयोजित स्वयं सहायता समूह से जुड़े कार्यक्रमों के प्रति जागरूक हूँ।	61 (93.8%)	3 (4.6%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	320	**4.9**
3	पहले से अधिक सकारात्मक और स्वतंत्र महसूस करती हूँ।	59 (90.8%)	3 (4.6%)	2 (3.1%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)	315	**4.8**
4	मेले से हुई कमाई के बाद अब मैं अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों में सीधे योगदान दे पाती हूँ।	61 (93.8%)	4 (6.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	321	**4.9**
5	मेले में अनजान और शहरी ग्राहकों से सीधे मोल-भाव करने से मेरे आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि हुई है।	65 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	325	**5.0**
6	अपने गाँव व घर से बाहर निकलकर राज्य स्तरीय मेले में स्वतंत्र रूप से स्टॉल संभालना मेरे लिए एक गर्व का अनुभव रहा।	65 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	325	**5.0**
7	स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद परिवार में मेरा महत्व बढ़ा है।	61 (93.8%)	4 (6.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	321	**4.9**
8	मेले में भाग लेने से समूह के सभी सदस्यों को लाभ मिला और समूह के प्रति विश्वास मजबूत हुआ।	65 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	325	**5.0**
9	रिश्तेदारों और पड़ोसियों के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आया है।	55 (84.6%)	5 (7.7%)	3 (4.6%)	2 (3.1%)	0 (0.0%)	308	**4.7**
10	मेले में भाग लेने के लिए पुरुष साथी द्वारा सहयोग मिला।	63 (96.9%)	2 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	323	**5.0**

स्रोत: प्राथमिक आँकड़े (क्षेत्र-सर्वेक्षण, सरस राज सखी मेला, जयपुर, 2025–26)।

14.3 तालिका 2 का कथनवार विश्लेषण

1. सार्वजनिक क्षेत्रों में आयोजित होने वाली महिला सशक्तिकरण को संबोधित कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने में अब संकोच महसूस नहीं करतीं: 89.2% उत्तरदाताओं ने पूर्ण सहमति के विकल्प का चयन किया व 10.8% ने सहमति विकल्प चुना, जो यह दिखाता है कि महिलाएँ पारंपरिक घर की सीमाओं को पार कर सार्वजनिक क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ भागीदारी कर रही हैं। इस कथन का माध्य 4.9 दर्ज किया गया।

2. महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों में जागरूकता का स्तर: 93.8% महिलाओं ने पूर्ण सहमति विकल्प चुना, 4.6% ने सहमति विकल्प का चयन किया, जबकि

केवल 1.5% उत्तरदाता तटस्थ रहे। इस कथन का उच्च माध्य 4.9 यह दर्शाता है कि महिलाओं के जागरूकता-स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

3. समूह में जुड़ने के बाद पहले से ज्यादा स्वतंत्र महसूस करती हैं: 90.8% उत्तरदाताओं ने पूर्ण सहमति दिखाई, 4.6% ने सहमति दी, 3.1% तटस्थ रहे जबकि 1.5% ने असहमति विकल्प चुना, जिसका तात्पर्य है कि उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया; लेकिन बहुसंख्यक उत्तरदाताओं के सकारात्मक जवाब और 4.8 माध्य यह स्पष्ट करते हैं कि महिलाओं के स्वतंत्रता-स्तर में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।

4. मेले में भागीदारी से प्राप्त आय से घर में प्रत्यक्ष योगदान: 93.8% उत्तरदाताओं ने पूर्ण सहमति तथा 6.2% ने सहमति विकल्प पर अपनी राय व्यक्त की। प्राप्त आँकड़ों का माध्य 4.9 दर्ज किया गया, जिससे सिद्ध होता है कि लगभग सभी महिलाएँ इस बात से सहमत हैं कि अपनी आय से वे परिवार की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान दे रही हैं।

5. मेले में दुकानों पर आने वाले ग्राहकों से सीधे संवाद व मोल-भाव से बाजार-कौशल, संवाद-कौशल और आत्मविश्वास में वृद्धि: शत-प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस कथन पर पूर्ण सहमति प्रदान की; इस कथन का माध्य स्कोर उच्चतम 5.0 दर्ज किया गया।

6. मेले/प्रदर्शनी में भाग लेना गर्व की अनुभूति कराता है: शोध में शामिल सभी उत्तरदाताओं ने पूर्ण सहमति विकल्प चुना। कथन का माध्य स्कोर 5.0 प्राप्त हुआ। उत्तरदाताओं के आत्मविश्वास और जवाब की एकरूपता से यह सिद्ध होता है कि सरकार के महिला सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रयास सकारात्मक परिणामों को प्राप्त कर रहे हैं।

7. स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद परिवार में मान-सम्मान पहले की तुलना में बढ़ा है: 93.8% ने पूर्ण सहमति व 6.2% ने सहमति विकल्प पर अपनी राय व्यक्त की। इस कथन का माध्य स्कोर 4.9 प्राप्त किया गया।

8. मेले में भागीदारी ने समूह के सभी सदस्यों में आपसी विश्वास और सहयोग को और मजबूत किया है: शत-प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पूर्ण सहमति प्रदान की, जिससे स्पष्ट होता है कि आपसी सहयोग और विश्वास से महिला स्वयं सहायता समूह सफलता प्राप्त कर रहे हैं।

9. आर्थिक रूप से सशक्त महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव आया है: 84.6% उत्तरदाताओं ने पूर्ण सहमति व 7.7% ने सहमति व्यक्त की; 4.6% तटस्थ रहे जबकि 3.1% ने इस बात को मानने से इनकार किया। किन्तु बहुसंख्यक उत्तरदाताओं ने माना कि आर्थिक रूप से सशक्त महिलाओं की सामाजिक स्वीकार्यता पहले की तुलना में बढ़ी है। इस कथन का माध्य स्कोर 4.7 दर्ज किया गया।

10. महिलाओं को व्यावसायिक गतिविधि के संचालन और गाँव से बाहर मेले में भागीदारी के लिए पुरुष साथी द्वारा सहयोग: बहुसंख्यक 96.9% उत्तरदाताओं ने पूर्ण सहमति व 3.1% ने सहमति विकल्प चुना; माध्य अत्यधिक उच्च 5.0 प्राप्त हुआ, जिससे सिद्ध होता है कि वर्तमान में कार्यशील महिलाओं को उनके कार्य-संपादन में पुरुष साथियों द्वारा बराबर सहयोग व समर्थन दिया जा रहा है और महिलाओं को लेकर पुरातन सोच में सुधार हो रहा है। मेले में भागीदार कई महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि वे समूह के माध्यम से अपने पुरुष साथी को रोजगार दे रही हैं।

14.4 परिकल्पना परीक्षण: t-परीक्षण (सामाजिक सशक्तिकरण)

विश्लेषण के अनुसार सामाजिक सशक्तिकरण से संबंधित कथनों का समग्र औसत 4.925 प्राप्त हुआ, जबकि तुलना के लिए निर्धारित मान 3.00 था। परीक्षण से t-मान = 73.759 (df = 9) तथा p-मान = 7.827×10^{-14} प्राप्त हुआ, जो 0.05 एवं 0.01 दोनों सार्थकता-स्तरों से अत्यंत कम है। यह परिणाम दर्शाता है कि प्राप्त औसत और तटस्थ मान के बीच का अंतर अत्यधिक सांख्यिकीय रूप से सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना (H_{02}), जिसमें यह माना गया था कि मेले एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने से महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण व आत्मविकास के स्तर में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं हुआ है, अस्वीकृत होती है तथा वैकल्पिक परिकल्पना (H_{12}) स्वीकृत होती है।

E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 4, July-August 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i04.1466

इससे निष्कर्ष निकलता है कि उत्तरदाता इस बात से दृढ़ता से सहमत हैं कि मेलों में सहभागिता से उनकी आय में वृद्धि हुई, नए ग्राहक मिले, बिक्री में बढ़ोतरी हुई, आत्मविश्वास विकसित हुआ, व्यवसाय संबंधी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी, आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई तथा ग्राहकों से सीधे संपर्क स्थापित करने के अवसर प्राप्त हुए। इस प्रकार अध्ययन यह प्रमाणित करता है कि मेलों और प्रदर्शनियों का समय-समय पर आयोजन स्वयं सहायता समूहों को मजबूत कर महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में व्यापक रूप से प्रभावी हो सकता है।

15. अध्ययन के निष्कर्ष

अध्ययन से निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त हुए —

1. अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि अधिकांश महिलाओं ने इसलिए स्वयं सहायता समूहों की सदस्यता ली जिससे वे बचत और सूक्ष्म ऋण के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न होकर परिवार में आर्थिक सहयोग दे सकें। उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि समूह से जुड़ने के पश्चात महिलाओं की आय में सांख्यिकीय दृष्टि से सकारात्मक सुधार हुआ है, और यह भी पाया गया कि अधिकांश महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों के गठन, संचालन और सदस्यता से होने वाले लाभों के प्रति जागरूक थीं।
2. स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को वह मंच उपलब्ध करवाया है जहाँ वे अपने कौशल से स्वरोजगार गतिविधि से जुड़ सकती हैं; 90 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने स्वीकार किया कि समूहों से जुड़ने के बाद उनके आत्मविश्वास और जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
3. अनेक महिलाओं ने अनुभव किया कि वे केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी अधिक सशक्त हुई हैं; उनके आत्मविश्वास, आत्मसम्मान तथा सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई है।
4. लगभग 90 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया कि सरकार, राजीविका और प्रशासन द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने की दिशा में उच्च स्तर पर कार्य किया जा रहा है।
5. उत्तरदाताओं से बातचीत के दौरान यह पाया गया कि स्वयं सहायता समूहों के स्थायित्व को लेकर एक चुनौती यह है कि उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों को बाजार तक पहुँच नहीं मिलती। हस्तकला पर आधारित सामान की लागत अधिक होती है; उसकी तुलना में मशीन-निर्मित सामान सस्ती दरों पर बाजार में उपलब्ध होता है — ऐसे में ग्रामीण उपभोक्ता समूहों की महिलाओं से सामान न खरीदकर बाजार से खरीदना पसंद करते हैं। बड़े शहरों में राज सखी जैसे मेलों का आयोजन हस्तकला-आधारित उद्योगों को व्यापक पहुँच देता है।
6. मेलों में भागीदारी से उनका उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुआ है और बाजार तथा विपणन-कौशल की नई तकनीकों को समझने का अवसर प्राप्त हुआ है।
7. अध्ययन के अनुसार समूह सामूहिक रूप से व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान की दिशा में एक आदर्श और प्रेरणा के मानदंड स्थापित कर रहे हैं। समूह की मुख्य प्रतिनिधियों ने बताया कि वे अपने नेतृत्व-कौशल से अन्य गरीब महिलाओं को समूह में संगठित कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ रही हैं।
8. महिला-आधारित समूहों को सशक्त करने की दिशा में सरकारी कार्यक्रमों व योजनाओं से महिलाओं के आत्मविश्वास के स्तर में वृद्धि हो रही है। समय-समय पर राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, जिससे उनके प्रोत्साहन-स्तर में उच्चतम वृद्धि होती है। एक उत्तरदाता ने बहुत उत्साहित होकर बताया कि उसे राष्ट्रपति से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, जो उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण लम्हा था; साथ ही लखपति दीदी योजना से हुए लाभ को लेकर उसने आकांक्षा व्यक्त की कि अब प्रधानमंत्री जी 'करोड़पति दीदी' योजना लाएँ।

स्पष्ट है कि महिला-निर्देशित स्वयं सहायता समूह क्रांतिकारी परिवर्तन की दिशा में कार्य कर रहे हैं; वर्तमान में समूहों को लेकर जागरूकता के स्तर में सुधार हुआ है। राजीविका द्वारा प्रशासन के सहयोग से समूहों को संगठित कर उनको सशक्त

करने की दिशा में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें विकसित भारत के विज़न में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को पहचानते हुए उनके समग्र सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन कर रही हैं।

16. सुझाव

अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं —

1. जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सभी अकार्यशील महिलाओं को समूहों में संगठित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए; इसमें सरकारी प्रयासों के साथ गैर-सरकारी संगठनों को भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
2. सामान्य बाजार में समूहों द्वारा तैयार उत्पाद प्रतिस्पर्धा कर सकें, इसके लिए बाजार की माँग को ध्यान में रखते हुए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए तथा स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण हेतु उन्हें मशीनें और अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएँ।
3. स्वयं सहायता समूहों के सामने एक प्रमुख चुनौती समूहों के स्थायित्व को लेकर है। स्थायित्व किसी भी उद्यम की सफलता की प्राथमिक सीढ़ी है, इसलिए समूहों को वित्तीय सहायता देकर स्थायी व्यावसायिक गतिविधियों से संलग्न किया जाए।
4. स्वयं सहायता समूहों में संगठित होने के लिए सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए तथा यह जागरूकता फैलानी चाहिए कि महिलाएँ भी परिवार की आय एवं विकास में समान योगदान देती हैं, अतः उन्हें केवल घरेलू कार्यों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए।
5. स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नियमित प्रदर्शनियों/मेलों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे महिलाओं को व्यापक बाजार उपलब्ध हो सके।

इन प्रयासों से महिलाओं के रोजगार, आय एवं ग्रामीण आर्थिक विकास में वृद्धि होगी तथा क्षेत्रीय आर्थिक असमानता और गरीबी को कम करने में भी सहायता मिलेगी।

17. उपसंहार

स्वयं सहायता समूहों की मूल अवधारणा महिलाओं को आजीविका-गतिविधियों से जोड़कर उनको आत्मनिर्भर बनाना है। राजस्थान में महिला-निर्देशित स्वयं सहायता समूहों की संख्या को देखते हुए सिद्ध होता है कि सूक्ष्म वित्त के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूह सभी स्तर की महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम हैं। इन समूहों ने महिलाओं को व्यावसायिक गतिविधि से जोड़कर उनके रोजगार, बचत, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, सामाजिक पहचान तथा सहभागिता में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। साथ ही, ये समूह अर्थव्यवस्था एवं स्थानीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

सांख्यिकीय विश्लेषण के परिणामों से स्पष्ट होता है कि मेलों एवं आजीविका संबंधी गतिविधियों में सहभागिता ने महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा दिया है। उत्तरदाताओं ने अनुभव किया कि उनके आत्मसम्मान की भावना और सामाजिक पहचान सुदृढ़ हुई, समाज में सम्मान एवं प्रभावशीलता में वृद्धि हुई, सामाजिक कार्यों में सहभागिता बढ़ी तथा आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में सकारात्मक परिवर्तन आया है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सामाजिक सशक्तिकरण के संदर्भ में अध्ययन के परिणाम अत्यंत सकारात्मक एवं सांख्यिकीय रूप से प्रमाणित हैं। अतः महिलाओं की आर्थिक प्रगति एवं समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार, वित्तीय संस्थाओं एवं अन्य संबंधित संगठनों को

E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 4, July-August 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i04.1466

स्वयं सहायता समूहों को अधिक सुदृढ़, व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। इससे न केवल महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, बल्कि समावेशी एवं सतत ग्रामीण विकास को भी गति मिलेगी।

संदर्भ सूची (References)

1. Anand (2022). Empowerment of Women through Self-Help Groups: With Reference to Chikkaballapur Taluk, Karnataka.
2. Arun Kumar & Mahalakshmi (2022). A Study of Women-Based Self-Help Groups in Coimbatore.
3. Basera, Shipra & Bhatt, Chandan (2025). Study of Rural Women Associated with SHGs in Haldwani.
4. Cheston, S. & Kuhn, L. (2002). Empowering Women through Microfinance. UNIFEM.
5. Lian,Mawi Ngaih(2020). A Case Study of Selected Self-Help Groups in Churachandpur District,Manipur.
6. Prasad, V. (2000). A Study of Self-Help Groups in Kolar District.
7. Puhazhendi, V. (2000). Evaluation Study of Self-Help Groups. NABARD.
8. Purushotham, P. (2000). Micro-Enterprises Run by Male Self-Help Groups in Andhra Pradesh.
9. Raghavendra, T. S. (2000). An Evaluative Study of Three SHGs in Rural Shimoga District.
10. Rao, D. V. V. (2001). Structural Framework of Self-Help Groups in Bidar District, Karnataka.
11. Satish, P. (2001). An Assessment of Public Awareness of Self-Help Groups.
12. Singh, Mohendro & Devi, L. S. (2004). Functioning of Self-Help Groups and Micro-Credit in Manipur.
13. Tiyas (2007).
14. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका), वार्षिक रिपोर्टें एवं सरस राज सखी मेला (जयपुर, 18 दिसंबर 2025 – 04 जनवरी 2026) से संबंधित आधिकारिक आँकड़े।
15. नाबार्ड (NABARD) एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइटों से संकलित द्वितीयक आँकड़े।